

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर
ब्लॉक 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म. प्र.)

जबलपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2021

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. 2443-DPR-455-(3)-नगानि-2021.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 62 ग्राम निम्नानुसार हैं:—

तहसील-पनागर

1. उमरिया चौबे
2. ब्याधखेड़ा
3. बिहर
4. विजौरी
5. बिजौरा
6. बम्हनौदा
7. ककरतला
8. गधेरी
9. घुघूटोला
10. जैतपुरी
11. घाना
12. फूटाताल
13. बधेली
14. उरदुवाखुर्द
15. मनियारीकला
16. धुवहा
17. सरसंवा

18. जटवा
19. गुडगवां
20. मनियारीखुर्द
21. बरोदा
22. जुनवानी
23. पौडी
24. खम्हरिया
25. मंगेला
26. पिपरिया
27. पटना
28. पड़वारकला
29. सूरतलाई
30. बिहरिया
31. बिलखरवा
32. पडवारखुर्द
33. सरखेडी
34. रैयाखेडा
35. सूखा

36. डीहा
37. पिपरिया बनियाखेडा
38. सरूपा

51. नीमखेडा
52. कोसमघाट
53. पिपरियाकला
54. नीमखेडा

तहसील-जबलपुर

39. जमुनिया
40. सिलुवा
41. आमाहिनौता
42. छतरपुर
43. बारहा
44. चौखड़ा
45. पडरिया
46. सिलुवा
47. पिंडरई
48. हिनौतिया
49. खम्हरिया
50. सालीवाडा

तहसील-पाटन

55. आरछा
56. विनैकी
57. लुहारी
58. बेनीखेडा
59. चौपरा
60. टिमरी

तहसील-शहपुरा

61. खम्हरिया
62. मनगुवा

मानचित्रों की एक प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है:—

1. संभागायुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. जिला कलेक्टर, जबलपुर
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पनागर
5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

आर. के. पाण्डेय, संयुक्त संचालक.